

01/22

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्पीगण
उपस्थित होकर मूल वाद का प्रत्याहरित
कर उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त कर्तव्य
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थना
पत्र को रानी हर्टज पर प्रत्याहरित
कर श्वारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नबवात
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बारेड़ा (राज.)

विष्णु कांकर

श्रीना लॉकर

पटना 7/7/17

ज

प्रेसिडेंट

ज

English
Bh

अभिलेखादीष्ट